Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- झुंझुनू में एसीबी की ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी कांस्टेबल अनिल कुमार (चालक) फरार।
- 'एसीबी कर्मी गंभीर रूप से घायल।

जयपुर, दिनांक 10 अप्रेल 2026, शुक्रवार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एसआईडब्ल्यू इकाई, एसीबी जयपुर को परिवादी द्वारा एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि पुलिस थाना चिड़ावा, जिला झुंझुनू में पदस्थापित कांस्टेबल चालक **अनिल कुमार** (नं. 1580) द्वारा परिवादी की सूखी लकड़ी से भरी पिकअप को छोड़ने की एवज में **10,000/-रूपये** की रिश्वत ली गई तथा अतिरिक्त 6,000/-रूपये की मांग की जा रही है।

शिकायत का सत्यापन करवाए जाने पर आरोपी द्वारा सत्यापन के दौरान 3,000/-रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना प्रमाणित हुआ। तत्पश्चात दिनांक 10.04.2026 को एसीबी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही की गई, जिसमें आरोपी ने परिवादी से शेष 3,000/-रूपये रिश्वत के रूप में प्राप्त कर लिए।

ट्रेप कार्यवाही के दौरान एसीबी टीम द्वारा आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने का प्रयास किया गया, किंतु आरोपी ने थाना वाहन को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए एसीबी टीम पर चढ़ाने का प्रयास किया। इस दौरान बचाव करते समय कांस्टेबल लक्ष्मी नारायण (नं. 258) गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल, झुंझुनू में भर्ती कराया गया है।

रिश्वत राशि लेकर फरार हुए आरोपी चालक की तलाश हेतु व्यापक प्रयास किए गए, किंतु वह अभी तक पकड़ में नहीं आया है। आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना चिड़ावा में राजकार्य में बाधा डालने, जानबूझकर तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाकर एसीबी कर्मी को गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाने तथा जीवन को संकट में डालने संबंधी प्रकरण दर्ज करवाया गया है।

यह सम्पूर्ण कार्यवाही **एसीबी के उपमहानिरीक्षक श्री अनिल कुमार कयाल** के सुपरविजन में संपन्न हुई, जिसमें **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संदीप सारस्वत की एवं उप अधीक्षक श्री सुरेन्द्र पंचोली** मय टीम द्वारा की गई।